रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032023-244103
CG-DL-E-03032023-244103

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 2023/फाल्गुन 11, 1944
No. 58] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 2023/PHALGUNA 11, 1944

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2023

संशोधित टैरिफ नीति, 2016 के अनुसार रिन्यूएबल जनरेशन ऑब्लिगेशन

फा. सं. 09/02/2022-आरसीएम.—1.0 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने दिनांक 28 जनवरी 2016 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग 1-खंड 1)में प्रकाशित संकल्प संख्या 23/2/2005-आरएंडआर (वॉल्यूम-IX) द्वारा संशोधित टैरिफ नीति अधिसूचित की।

2.0 टैरिफ नीति 2016 के खंड 6.4 (5) के अनुसरण में, निर्णय लिया गया है कि कोयला/लिग्नाइट-आधारित ताप विद्युत संयंत्रकी स्थापना करने वाली किसी उत्पादक कंपनी जिसकी परियोजना की कमर्शियल ऑपरेशन डेट (सीओडी) दिनांक 1 अप्रैल, 2023 अथवा उसके बाद की हो, वह कंपनी कोयला/लिग्नाइट-आधारित ताप विद्युत संयंत्र की क्षमता (मेगावाट में) के न्यूनतम चालीस प्रतिशत (40%) की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता (मेगावाट में) अर्थात् त्रिन्यूएबल जनरेशन ऑब्लिगेशन (आरजीओ) की स्थापना करे अथवा ऐसी क्षमता के समतुल्य नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद और आपूर्ति करे।

3.0 दिनांक 1 अप्रैल, 2023 और 31 मार्च, 2025 के बीच की परियोजना की कमर्शियल ऑपरेशन डेट (सीओडी) वाले कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र से दिनांक 1 अप्रैल, 2025 तक 40% के आरजीओ का अनुपालन आवश्यक होगा, और दिनांक 1 अप्रैल, 2025 के बाद की परियोजना की कमर्शियल ऑपरेशन डेट (सीओडी) वाले किसी अन्य कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र से सीओडी तक 40% के आरजीओ का अनुपालन आवश्यक होगा।

4.0 इसके अतिरिक्त, किसी कैप्टिव कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र को आरजीओ की आवश्यकता से छूट प्राप्त होगी परंतु इसे केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन की पूर्ति करनी होगी।

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 27th February, 2023

Renewable Generation Obligation as per Revised Tariff Policy, 2016

F. No. 09/02/2022-RCM.—1.0 In exercise of powers conferred under section 3(3) of the Electricity Act, 2003, the Central Government notified the revised Tariff Policy vide Resolution No. 23/2/2005-R&R (Vol-IX) published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part1 - Section 1) on 28th January 2016.

2.0 In pursuance of clause 6.4 (5) of the Tariff Policy 2016, it has been decided that any generating company establishing a coal/lignite-based thermal generating station and having the Commercial Operation Date (COD) of the project on or after 1stApril 2023 shall be required to establish renewable energy generating capacity (in MW) i.e. Renewable Generation Obligation (RGO) of a minimumof forty percent (40%) of the capacity (in MW) of a coal/lignite-based thermal generating station or procure and supply renewable energy equivalent to such capacity.

3.0 A coal/lignite based thermal generating station with Commercial Operation Date (COD) of the project between 1st April 2023 and 31st March 2025 shall be required to comply with RGO of 40% by 1st April 2025, and any other coal/lignite based thermal generating station with Commercial Operation Date (COD) of the project after 1st April 2025 shall be required to comply with RGO of 40% by the COD.

4.0 Further, a captive coal/lignite based thermal generating station shall be exempt from requirement of RGO subject to its fulfilling Renewable Purchase Obligations as notified by the Central Government.

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.